

विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/ 642/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023

कोण्डागांव, दिनांक 27/02/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से लेकर खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का विवरण						धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.)	प्रभावित रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
कोण्डागांव	मर्दापाल	लखापुरी	18/1	0.146	0.020	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव	ग्राम-लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि०मी० 1/6 भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण
			18/2	0.145	0.020		
			18/3	0.146	0.020		
			17	0.129	0.060		
			77/18	0.168	0.024		
			23,26,15/1,77/49	5.661	0.264		
			77/17	0.121	0.080		
			77/143	0.405	0.016		
			77/40	0.405	0.044		
			77/71	0.202	0.036		
			77/60	1.619	0.145		
			77/72	0.121	0.024		
			77/73	0.081	0.008		
			77/81	0.121	0.012		
योग			14	9.470	0.773		

- 2- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(दीपक सोनी)

कलेक्टर जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक/ 642 /अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023 कोण्डागांव, दिनांक 27/02/2023
प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाइट एवं जिला के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत।
3. तहसीलदार-मर्दापाल को अधिसूचना की प्रति तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कार्यालय ग्राम पंचायत लखापुरी कार्यालय, जनपद पंचायत कोण्डागांव कार्यालय में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत।

(दीपक सोनी)

कलेक्टर जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग